न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा

पीठासीन अधिकारी :— अमिता बिश्नोई आरएएस

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :— 143/2024

1. बलवंतराम पुत्र मूलाराम, जाति जाट, साकिन वार्ड न. 2 कालीबंगा, तहसील पीलीबंगा, जिला हनुमागनढ़ (राज.)।

प्रार्थी

बनाम

1. पृथ्वीराज पुत्र मूलाराम, जाति जाट, साकिन कालीबंगा, तहसील पीलीबंगा, जिला हनुमागनढ़
2. बद्रीप्रसाद पुत्र मूलाराम, जाति जाट, साकिन कालीबंगा,तहसील पीलीबंगा, जिला हनुमागनढ़
3. सुल्तान पुत्र मूलाराम, जाति जाट, साकिन कालीबंगा, तहसील पीलीबंगा, जिला हनुमागनढ़।
4. हंसराज पुत्र मूलाराम,जाति जाट, साकिन कालीबंगा, तहसील पीलीबंगा,जिला हनुमागनढ़।
5. तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ राज ।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251—क राजस्व काश्तकारी अधिनियम

—:: उपस्थित अभिभाषकगण ::—

1. महेन्द्र सैन अधिवक्ता — प्रार्थी
2. श्री हरजिन्द्र सिंह रमाणा — अप्रार्थी संख्या 1
3. श्री पवन कुमार मोखरिया — अप्रार्थी संख्या 2 व 3
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पीलीबंगा — अप्रार्थी संख्या 5
5. अप्रार्थी संख्या 4 के विरूद्ध एक पक्षिय कार्यवाही जारी है।

—:: निर्णय ::—

दिनांक :— 28/3/25

प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण की ओर से **अन्तर्गत धारा 251—क राजस्व काश्तकारी अधिनियम** अप्रार्थीगण के विरूद्ध अधिवक्ता श्री महेन्द्र सैन के द्वारा प्रस्तुत किया गया है प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी व अप्रार्थीगण का प्रमाणित व पंजीकृत पता सिविल प्रक्रिया सहिंता के प्रावधानो के अनुसार वही है जो प्रार्थना पत्र के शीर्षक में निवेदित किया गया हैं ।

यह कि प्रार्थी के नाम कृषि भूमि चक 45 एनडीआर पटवार हल्का पण्डितावाली भू—अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र पण्डितावाली, तहसील पीलीबंगा उपखण्ड पीलीबंगा के खाता संख्या 32/28 के प.न. 63/335 (1) के किला न. 5/0.253, 6/0.253, 15/0.253, 16/0.253, 25/0.253 व प.न. 63/336 (7) के किला न. 5/0.253, 6/0.253, 15/0.253, 16/0.253, 25/0.253 की 2.530 हैक. कमाण्ड, अनकमाण्ड कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। प्रमाणित प्रतिलिपि सलग्न प्रार्थना पत्र है।

यह कि अप्रार्थी स. 1 पृथ्वीराज के नाम तहसील पीलीबंगा के चक 45 एनडीआर के खाता स. 27/22 के प.न. 63/335 (1) के किला न. 1/1/0.228, 10/1/0.228, 11/1/0.228, 20/1/0.228, 21/1/0 228 व प.न. 63/336(7) के किला न. 1/1/0. 228, 10/1/0.228, 11/1/0.228, 20/1/0.228, 21/1/0.228 की कुल 2.2800 हैक. कमाण्ड, अनकमाण्ड कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड है। प्रमाणित प्रतिलिपि सलग्न प्रार्थना पत्र है।

यह कि अप्रार्थी स. 2 बद्रीप्रसाद के नाम तहसील पीलीबंगा के चक 45 एनडीआर के खाता स.29/23 के प.न. 63/335 (1) के किला न. 9/0.253, 12/0.253, 19/0.253, 22/0.253 व प. न. 63/336 (7) के किला न. 0.253, 9/0.253, 12/0.253, 19/0.253, 22/0.253 की कुल 2.530 हैक. कमाण्ड, अनकमाण्ड कृषि भूमि दर्ज रिकार्ड है। प्रमाणित प्रतिलिपि सलग्न प्रार्थना पत्र है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2025.04.15 18:19:21 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

Scanned with OKEN Scanner

यह कि अप्रार्थी स. 3 सुल्तान के नाम तहसील पीलीबंगा के चक 45 एनडीआर के खाता स.71/58 के प.न. 63/335 (1) के किला न. 3/0.253, 8/0.253, 13/0.253, 18/0.253, 23/0.253 व प. न. 63/336 (7) के किला न. 3/0.253, 8/0.253, 13/0.253, 18/0.253, 23/0.253 की कुल 2.530 हैव. कमाण्ड, अनकमाण्ड कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। प्रमाणित प्रतिलिपि सलग्न प्रार्थना पत्र है।

यह कि अप्रार्थी स. 4 हंसराज के नाम तहसील पीलीबंगा के चक 45 एनडीआर के खाता स. 73/60 के प.न. 63/335 (1) के किला न. 4/0.253, 7/0.253, 14/0.253, 17/0.253, 24/0.253 व प. न. 63/336 (7) के किला न. 4/0.253, 710.253, 14/0.253, 17/0.253, 24/0.253 की कुल 2.530 हैव. कमाण्ड, अनकमाण्ड कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। प्रमाणित प्रतिलिपि सलग्न प्रार्थना पत्र है।

यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 2 ता 6 में वर्णित कृषि भूमि तहसील पीलीबंगा के चक 45 एनडीआर के प.न. 63/335 (1) के किला न. 1, 10, 11, 20, 21 में गैरमुमकिन रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज है व इसी मुरबा के किला न. 21/1/0.228 हैव. अप्रार्थी स.1 के नाम, किला न. 22 अप्रार्थी स. 2 के नाम, किला न. 23 अप्रार्थी स.3 के नाम, किला न.24 अप्रार्थी स. 4 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। किला न. 21/1 से किला न. 24 तक पूर्व से पश्चिम की ओर लम्बा दक्षिणी सींव पर 1–1 बिस्वा भूमि प्रार्थी व अप्रार्थीगण द्वारा अपनी–अपनी कृषि भूमि में आवागमन हेतू परस्पर आपसी सहमति से घरेलू रास्ते हेतू छोडी गयी है और उक्त घरेलू रास्ता मोका पर चालु है और उक्त घरेलू रास्ता इसी मुरब्बा के किला न. 21 के गैरमुमकिन रास्ते में जाकर मिलता है। उक्त रास्ते से ही प्रार्थी अपनी कृषि भूमि आवागमन कर रहा है और इस घरेलू रास्ता के अलावा प्रार्थी के पास अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नही है, लेकिन उक्त रास्ता राजस्व रिकार्ड में स्वीकृत नही होने से प्रार्थी को काफी परेशानीयों का सामना करना पड रहा है और अप्रार्थीगण द्वारा उक्त मौका पर चालु रास्ता को बन्द करने की ऐलानिया तौर बार–बार धमकी दी जा रही है व बार–बार प्रार्थी को अपनी कृषि भूमि में आवागमन में बाधा कारित कर रहे है। इस कारण प्रार्थी को चक 45 एनडीआर के प.न. 63/335(1) के किला न. 21/1/0.228 हैव. अप्रार्थी स.1 के नाम, किला न. 22 अप्रार्थी स.2 के नाम, किला न. 23 अप्रार्थी स.3 के नाम, किला न.24 अप्रार्थी स. 4 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है मे से किला न. 21/1 से किला न. 24 तक पूर्व से पश्चिम की ओर लम्बा दक्षिणी सीव पर 1–1 बिस्वा रास्ता की आत्यांतिक आवश्यकता (Absolute Necessity) है तथा प्रार्थी की भूमि के लिये अन्य कोई वैकल्पिक मार्ग (Alternative way) भी नहीं है। इस कारण प्रार्थी अप्रार्थी संख्या 1 ता 4 की उक्त कृषि भूमि में से प.न.63/335 किला न. 21/1 से किला न. 24 तक पूर्व से पश्चिम की ओर लम्बे दक्षिणी सींव पर 1–1 बिस्वा मौके पर चल रहे घरेलू रास्ते को राजस्व रिकार्ड में स्वीकृत करवाने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रहा है।

यह कि प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 ता 4 से गत सप्ताह पूर्व उक्त रास्ता को राजस्व अभिलेख में स्वीकृत करवा देने का आग्रह करने पर उनके द्वारा इन्कार कर दिये जाने पर प्रार्थी को यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का वाद कारण हासिल हुआ है और अप्रार्थी स.5 को भू–धारक होने के कारण बतौर अप्रार्थी स.5 संयोजित किया गया ताकि माननीय न्यायालय के आदेश की पालना करवाई जा सके। यह कि प्रार्थी [illegible] अनुतोष को स्वीकृत किये जाने की एवज में श्रीमान् न्यायालय [illegible] कृषि भूमि के बदले नियमानुसार डी.एल.सी. की दुगनी राशि अथवा भूमि के बदले जो भी माननीय न्यायालय आदेशित करे प्रार्थी, अप्रार्थीगण स. 1 ता 4 को देने हेतू सहमत है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2025.04.15 18:19:21 IST
Reason: SelfAttested

यह कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय के श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार का है जो वाद कारण से अन्दर मियाद प्रस्तुत है और उचित न्यायशुल्क पर प्रस्तुत है। अतः

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

Scanned with OKEN Scanner

प्रार्थना–पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदनं है कि प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि के लिए स्वीकृत रास्ता को परस्पर जोड़ने के लिए अप्रार्थीगण की कृषि भूमि तहसील पीलीबंगा के चक 45 एनडीआर के प.न. 63/335 (1) के किला न. 21/1/0.228 हैक्. अप्रार्थी स. 1 के नाम, किला न. 22 अप्रार्थी स.2 के नाम, किला न. 23 अप्रार्थी स 3 के नाम, किला न.24 अप्रार्थी स. 4 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है में से किला न. 21/1 से किला न. 24 तक पूर्व से पश्चिम की ओर लम्बा दक्षिणी सींव पर 1–1 बिस्वा गैरमुमकिन रास्ता स्वीकृत फरमाया जावे व इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावें तथा इस रास्ता में आने वाली भूमि के बदले मुआवजा स्वरूप डीएलसी दर की दुगुनी राशि अथवा भूमि के बदले जो भी माननीय न्यायालय अभिनिर्धारित करे प्रार्थी से अप्रार्थीगण को दिलवाया जाने के आदेश फरमाये जावें । श्रीमान जी की अति कृपा होगी।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से श्री हरजिन्द्र सिंह रमाणा अधिवक्ता द्वारा वकालतनामा मय जवाब प्रार्थना–पत्र अप्रार्थी स.1 की ओर से निम्न प्रकार से है कि प्रार्थना पत्र के शीर्षक में वर्णित पता सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के अनुसार नही होने के कारण अस्वीकार है। प्रार्थीगण कृषि का कार्य करते हो, ज्ञान के अभाव अस्वीकार है। यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 2 में वर्णित कथन को साबित करने का भार प्रार्थी पर है। यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 3 में वर्णित कथन मिन अप्रार्थी स. 1 पृथ्वीराज के नाम तहसील पीलीबंगा के चक 45 एनडीआर के खाता स. 27122 के प.न. 63/335(1) के किला न. 1/1/0.228, 10/1/0.228, 11/1/0.228, 20/1/0.228, 21/1/0.228 व प.न. 63/336 (7) के किला न. 1/1/0.228, 10/1/0.228, 11/1/0.228, 20/1/0.228, 21/1/0.228 की कुल 2.2800 हैक्. कमाण्ड, अनकमाण्ड कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड दर्ज है के कथन स्वीकार है। यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 4 में वर्णित कथन को साबित करने का भार प्रार्थी पर है। यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 5 में वर्णित कथन को साबित करने का भार प्रार्थी पर है। यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 6 में वर्णित कथन को साबित करने का भार प्रार्थी पर है। यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 7 में वर्णित कथन स्वीकार है। यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 8 में वर्णित कथन कानूनी है। यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 9 में वर्णित कथन कानूनी है। यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 10 में वर्णित कथन श्रीमान् न्यायालय के श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार का नही होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है एवं प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अल्प न्यायशुल्क व मियाद बाहर होने के कारण काबिले खारिजी है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि यदि प्रार्थी द्वारा चाहा गया अनुतोष में मिन अप्रार्थी स.1 की कृषि तहसील पीलीबंगा के चक 45 एनडीआर के प.न. 63/335(1) के किला न. 21/1/0.228 हैक्. में प्रार्थी द्वारा चाहे गये अनुतोष के प्रतिस्वरूप मिन अप्रार्थी स.1 को रास्ता में आने वाली कृषि भूमि बदले प्रार्थी से कृषि भूमि प्रदान की जाती है तो मिन अप्रार्थी स.1 को कोई उज्जर एतराज नही है।

अप्रार्थी संख्या 4 के विरूद्व एक पक्षिय कार्यवाही जैरकार है। अप्रार्थी संख्या 2 व 3 के द्वारा अनेक अवसर दिये जाने पर भी जवाब प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण जवाब बंद किया जा चुका है।

तहसीलदार पीलीबंगा से प[illegible] रिपोर्ट प्राप्त की गई है। मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार प्रार्थी द्वारा चाहा गया [illegible] पर चालू नहीं है। वर्तमान में मौका पर प.नं. 63/335 (1) कि.नं. 22,23,24 खाली है। [illegible] 21 में मौका पर चाहा गया रास्ता चालू है। प्रार्थी के द्वारा चाहे गये रास्ते में आने वाली भूमि से सम्बन्धित खाते के समस्त काश्तकारान को पक्षकार बनाया गया है। प्रार्थी बलव[illegible]म पुत्र मूलाराम जाति जाट प.नं. 63/335 (1) कि.नं. 5, 6, 15, 16, 25, प.नं. 63/336 (7) कि.नं. 5, 6, 15, 16, 25 को राजस्व रिकार्ड स्वीकृतशुदा रास्ता नहीं लगता है। प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ते के अतिरिक्त प.नं.

Signature Not Verified
Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2025.04.15 18:19:21 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

Scanned with OKEN Scanner

63/336 (7) व चक 46 एन.डो. आर. पटवार मण्डल 44 एन. डो. आर. के प.नं. 63/337(7) के मध्य में एक वकल्पिक रास्ता माका पर चालू है जो राजस्व रिकाड में स्वीकृतशुद्वा नहीं है। चक 46 एन. डो. आर. के प.नं. 63/337 के कि.नं. 1,2,3,4,5 में वैकल्पिक रास्ता वतमान में मौका पर चालू है जो राजस्व रिकाड में स्वीकृत नहीं है। प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ते के अलावा वर्तमान में मौका पर चक 46 एन. डो. आर. के प.नं. 63/337(7) क कि.नं. 1,2,3,4,5 मे वैकल्पिक तोर पर एक रास्ता चल रहा है जो राजस्व रिकार्ड में मंजूरशुद्वा नहीं है।

आदेश

बहस अधिवक्त उभय पक्ष सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के कथनों को दोहराते हुए चाहे गए रास्ता को स्वीकृत हेतु निवेदन किया गया। अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा रास्ता के बदले भूमि के बदले भूमि दिये जाने पर रास्ता स्वीकृत करने पर सहमती प्रकट की गई। बहस पर मनन व पत्रावली का अवलोकन के बाद तहसीलदार रिपोर्ट का गहन अध्ययन किया गया। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र इस लिए स्वीकृत किया जाना उचित प्रतीत होता है क्योंकि मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार प्रार्थी के द्वारा चाहा गया रास्ता के अतिरिक्त अन्य स्वीकृत शुद्धा रास्ता नही है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 – क आरटीए स्वीकृत किया जाकर ओदश पारित किया जाता है कि चक 45 एनडीआर के प.न. 63/335 किला न. 21/1 से किला न. 24 तक पूर्व से पश्चिम की ओर लम्बे दक्षिणी सीव पर 1–1 बिस्वा रास्ते को राजस्व रिकार्ड मे स्वीकृत किया जाता है। तहसीलदार पीलीबंगा को आदेशित किया जाता है कि प्रार्थीगण से रास्ता की एवज में डीएलसी की दुगुनी राशि खजाना राज में जमा करवाया जाकर मुताबिक आदेश रास्ता राजस्व रिकार्ड में अंकन करे।

पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो । आदेश को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में दिनांक 28/03/25 सुनाया गया।

(अमिता बिश्नोई)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
पीलीबंगा

Signature Not Verified

Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2025.04.15 18:19:21 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner